



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड I  
PART I—Section I

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 311]  
No. 311]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 12, 2007/आश्विन 20, 1929  
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 12, 2007/ASVINA 20, 1929

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय  
संकल्प

नई दिल्ली, 10 अक्टूबर, 2007

सं. 12011/16/2007-बी.सी.सी.—जबकि कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 6-12-1996 के संकल्प सं. 12011/44/96-बी.सी.सी. द्वारा भारत के राजपत्र के असाधारण अंक के भाग-1, खण्ड-1, जी.एन. संख्या 210, बुधवार, 11 दिसम्बर, 1996 में प्रकाशित उड़ीसा राज्य की सामान्य सूची के क्रमांक 179 पर कुदुमा को शामिल किया गया था और जबकि कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 10-9-1993 के संकल्प सं. 12011/68/93-बी.सी.सी. द्वारा भारत के राजपत्र के असाधारण अंक के भाग-1, खण्ड-1, जी.एन. संख्या 186, सोमवार, 13 सितम्बर, 1993 में प्रकाशित और दिनांक 15-5-1995 के संख्या 12011/21/95-बी.सी.सी. द्वारा भारत के राजपत्र के असाधारण अंक के भाग-1, खण्ड-1, जी.एन. संख्या 83, मंगलवार, 16 मई, 1995 में प्रकाशित पंजाब राज्य की सामान्य सूची के क्रमांक 24 पर राय-सिख को शामिल किया गया था और जबकि उक्त समुदायों को अब उड़ीसा और पंजाब की अनुसूचित जाति की सूची में शामिल कर लिया गया है इसलिए उक्त संकल्पों में निम्नलिखित संशोधन शामिल किए जाते हैं :—

1. क्रम संख्या 179 में से उड़ीसा राज्य के लिए अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची से प्रविष्टि कुदुमा को हटा दिया जाएगा।
2. क्रम संख्या 24 और पंजाब राज्य के लिए अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची से प्रविष्टि राय-सिख को हटा दिया जाएगा।

डॉ. विनोद अग्रवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND  
EMPOWERMENT  
RESOLUTION

New Delhi, the 10th October, 2007

No. 12011/16/2007-BCC.—Whereas by the Resolution of the Government of India, Ministry of Welfare bearing No. 12011/44/96-BCC dated 6-12-1996 published in Extraordinary issue of the Gazette of India, Part I, Section I, G.N. No. 210, Wednesday, December 11, 1996 in the State : Orissa : Common List Kuduma was included against S. No. 179 and No. 12011/68/93-BCC dated 10-9-1993 published in Extraordinary issue of the Gazette of India, Part I, Section I, G.N. No. 186, Monday, September 13, 1993 and No. 12011/21/95-BCC dated 15-5-1995; published in Extraordinary issue of the Gazette of India, Part I, Section I, G.N. No. 83, Tuesday, May 16, 1995 in the State of : Punjab : Common List Rai-Sikh was included against S. No. 24 and whereas the said communities have now been included in the list of Schedule Caste of Orissa and Punjab, therefore, the following amendments are made in the said Resolutions namely :

1. Out of S. No. 179, entry namely Kuduma shall be omitted from the Central List of OBC for the State of Orissa.
2. S. No. 24 and entry namely Rai-Sikh shall be omitted from the Central List of OBC for the State of Punjab.

DR. VINOD AGGARWAL, Jt. Secy.